



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक 2191 / अका. / सम्बद्धता / 2016

रायपुर, दिनांक : 02/9/2016

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 27.07.2016 की अनुशंसानुसार एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2016 के निर्णयानुसार शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर को दर्शित कक्षा/विषय एवं सत्र के लिए अस्थायी सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है:-

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	LLB.-I st year	160	2016-17
2.	LLB.-IIInd year	160	2017-18
3.	LLB.- IIIrd year	160	2018-19

शर्त :-

- छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
- समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
- जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

आदेशानुसार,

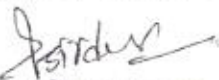

उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक 2192 / अका. / सम्बद्धता / 2016

रायपुर, दिनांक 02/9/2016

प्रतिलिपि :-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
 - संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
 - संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को।
 - संचालक, शारीरिक शिक्षा,
 - स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
 - कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)

भाग "ब"

भाग 'अ' में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए।

प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण समिति का विदुवार प्रतिवेदन।

प्रतिवेदन में अनुशंसा न की जाए अपितु पात्रता/अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए।

सम्बद्धता के लिए शर्तों के रूप में मान्य किया जा सके। वि.वि. पत्र क्रमांक 1722/असा/संवहन/2016 दिनांक 12/7/16 के संदर्भ में LLB. Three year (2016-17, 17-18, 18-19) के लिए निरीक्षण किया।

1. Infrastructure पूर्ण है। Library में पुस्तकें एवं जर्नल प्रयुक्त हैं।
2. Moot Court के आधुनिकरण की आवश्यकता है।
3. Sanctioned post (07+01) के विरुद्ध केवल 04 शिक्षक कार्यरत हैं। अकेला लिव शिक्षकों नियमावली के अनुसार के संदर्भ में attached हेतु आवश्यकता है।

निरीक्षण समिति के संयोजन का नाम एवं हस्ताक्षर

निरीक्षण दल के सदस्यों के हस्ताक्षर - नाम- पता

विषय विशेषज्ञ/विशेषज्ञों के हस्ताक्षर एवं नाम-पता

दिनांक 25/7/2016

प्रति,

कुलसचिव,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,

रायपुर (छ.ग.)

डॉ. ए. अलीम खान

संकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष (विधि)

पं. रवि. शु. वि. वि. रायपुर

डॉ. ए. के. श्रीवास्तव अध्यक्ष संस्थान

पं. रवि. शु. वि. वि. रायपुर

डॉ. ए. के. पाण्डेय संकायाध्यक्ष

सामाजिक विज्ञान एवं अर्थशास्त्र अध्ययन संस्थान

पं. रवि. शु. वि. वि. रायपुर